न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी वृक्ष कटाई, कटघोरा,जिला-कोरबा(छत्तीसगढ़)

क्रमांक/349 /अ.वि.अ.(रा.)/वा-1/2024 कटघोरा, दिनांक 17/10/2024

प्रारूप - ड.
{नियम 7(2) देखिये}
अनुशंसा

प्रति

कनिष्ठ अभियंता,
पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कोरबा
जिला-कोरबा(छ.ग.)

विषय :- वृक्ष की कटाई हेतु अनुशंसा।

विषयान्तर्गत आपका वृक्ष विदोहन का आवेदन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। राजस्व एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक 06.03.2023 को जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 05.07.2024 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है - कुल 48 नग सागौन(इमारती) वृक्ष

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि ग्राम-कन्हैयाभांठा, प0ह0नं0 56, तहसील-दीपका स्थित निजी भूमि खसरा नं. 164/6 में स्थित 48 नग सागौन वृक्ष को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुशंसा अभिव्यक्त की जाती है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुशंसा शुन्य होगी।

यह अनुशंसा आवेदन दिनांक से एक कैलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

17/10/2024
अनुविभागीय अधिकारी(रा)
कटघोरा,जिला-कोरबा(छ.ग.)

पृ. क्रमांक/350 /अ.वि.अ.(रा.)/वा-1/2024 कटघोरा, दिनांक 17/10/2024

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला कोरबा की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल कटघोरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार, तहसील दीपका को वृक्ष कटाई पश्चात राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु पालनार्थ प्रेषित।
4. वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र कटघोरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

न्या. अनुविभागीय अधिकारी (छत्तीसगढ़)

अनुविभागीय अधिकारी(रा)
कटघोरा,जिला-कोरबा(छ.ग.)